...य उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

221/25

दिनांक 3.10.25

-- :: निर्णय :: --

प्रार्थी श्री रामदयाल .... पुत्र/पुत्री/पत्नि .... मांगीलाल .... ने प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम राजपुरा .... पटवार मण्डल खलिया .... तहसील छबड़ा
जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2073-76 के खाता संख्या 253 में खातेदार/गैरखातेदार का
नाम/जाति रामदयाल पुत्र मांग्या .... अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से
.... रामदयाल पुत्र मांगीलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी खलिया
से करवाने पर पटवारी ने .... मांग्या .... के बजाय .... मांगीलाल
.... करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में प्रार्थी के पिता का नाम मांग्या
के बजाय .... मांगीलाल .... करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956
एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत
ग्राम .... राजपुरा .... के खाता संख्या 253 .... में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति रामदयाल पुत्र
मांग्या .... के स्थान पर सम्मानजनक रूप से रामदयाल पुत्र मांगीलाल दर्ज करने का
आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छबड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)